न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 93 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 08.06.2017

1. नटवरसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत निवासी जोगनी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. नरेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत निवासी जोगनी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्ध

1. जोरावरसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपुत निवासी जोगनी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. हिम्मतसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत निवासी जोगनी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. राजेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपुत निवासी जोगनी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. विजयसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपुत निवासी जोगनी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. संजीवसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपुत निवासी जोगनी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. मंगलसिह पिता भगवानसिंह जाति राजपुत निवासी जोगनी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 243/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017

उपस्थित– 1. खुमराज कुमावत –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दीपक शर्मा–रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 7

निर्णय **दिनांक 09.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जोगनी पटवार हल्का चिकसी तहसील चित्तौडगढ के आराजी नम्बर 34,35,70,72, 72/143, 72/161, 73, 73/162 83,84,84/150,85,85/151,86,91,91/140,92,93/145,94,95,97,98,98/163,1 02,103/107,117,135/171,137,139 कुल किता 33 कुल रकबा 18.90 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। विवादित आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/6 व अपीलान्ट व हिम्मतसिंह,राजेन्द्रसिंह का 1/8 व रेस्पोडेन्ट विजयसिह का 1/6 रेस्पोडेन्ट संजीवसिह,मंगलसिंह का संयुक्त 1/6 हक हिस्सा निहित है। इसी हक हिस्से अनुसार विवादित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

विवादित आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नही होने से आये दिन पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपने निहित हिस्से अनुसार कृषि भूमि का बंटवाडा कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से बार-बार रेस्पोडेन्टगण को कृषि आराजीयात का विभाजन कराने के लिये कहा किन्तु रेस्पोडेन्टगण व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने विभाजन करने से इंकार कर दिया जिससे वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण व अपीलान्ट प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की तामील होकर प्राप्त हुई। अपीलान्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब हेतु अवसर चाहा। दिनांक 17.05.2017 को अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया व शेष प्रतिवादीगण की तामील होना शेष थी। बिना तामील के अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी सं. 1 अपीलान्ट का जवाबदावा प्रस्तुत होने के के बावजुद बिना साक्ष्य व सबूत वैधानिक प्रक्रिया अपनाये बगैर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.17 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण की तलवी शेष थी उनकी तामील कराये बगैर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना किये पत्रावली मे जवाबदावा होते हुए बिना तनकियात कायम किये राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जवाबदावे के साथ विशेष कथन अंकित किया कि वादपत्र मे वर्णित कृषि आराजीयात का बंटवाडा संवत् 2012 जेठ बुदी 5 सोमवार को लिखित रूप मे हो चुका है। उसी अनुसार पक्षकारान काबिज है। उसी अनुसार जमीन को विकसित की। करीब 62 वर्ष पूर्व तेजसिंह व देवीसिह के मध्य मे जो बंटवाडा दोनो भाईयो ने गवाहो के सामने किया है उसी अनुसार काबिज है। तेजसिंह के वारिसान अपीलान्ट व हिम्मतसिंह,राजेन्द्रसिंह है। देवीसिंह के वारिसान रेस्पोडेन्ट सं.1 व विजयसिह,भगवानसिंह के वारिस मे संजीवसिह,मंगलसिंह के मध्य पूर्व मे हुए बंटवाडे के अनुसार बंटवाडा किया जावे। उक्त जवाबदावे को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार नये सिरे से बंटवाडा किये जाने का आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यु

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

2008 पार्ट-2 पेज 975 प्रस्तुत किया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से मौजा जोगनी तहसील चित्तौड़गढ़ मे रेस्पोडेन्ट वादी व अन्य प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी मे खाता सं. 15 मे दर्ज आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। पत्रावली लोक अदालत मे नियत हुई जिसमे उभयपक्ष उपस्थित हुए व प्रकरण बंटवाडे से सम्बन्धित होकर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने की सहमति दी। जिससे न्याय मे अनावश्यक विलम्ब न हो इस भावना को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री माफिक राजस्व रेकार्ड अनुसार होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पैतृक कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र की पत्रावली मे जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसमे सम्पूर्ण आराजीयात अपीलान्टगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने उक्त आराजीयात मे अपने हक व हिस्सा जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी विजयसिंह नजर कंवर लाड कंवर पिता देवीसिंह की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है जिसमे नामान्तकरण सं. 63 दिनांक 29.07.2015 हकत्याग से नटवरसिंह, नरेन्दसिंह, हिम्मतसिंह, राजेन्द्रसिंह पिता तेजसिंह 1/2 संजीवसिंह मंगलसिंह पिता भगवानसिंह 1/6 व जोरावसिंह विजयसिंह पिता देवीसिंह 1/3 दर्ज रेकार्ड है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का सम्पूर्ण विवादित आराजीयात मे 1/6 हक व हिस्सा निहित है। शेष हक व हिस्सा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का निहित है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाडा किये जाने हेतु कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को नियुक्त किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता का अवहरण कर लोक अदालत के तहत बिना राजीनामे के अपीलान्टगण ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपनी ओर से जवाबदावा व मय विशेष कथन प्रस्तुत किया व विशेष कथन के साथ पूर्व मे बंटवाडे की फोटो प्रति प्रस्तुत की। यह भी निवेदन किया गया कि सहखातेदारान के मध्य पूर्व मे बंटवाडा हो चुका है। उसी अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायोचित है। नये सिरे से वादी ने बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया है जिससे वादी का वादपत्र चलने योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे लोक अदालत मे उक्त पत्रावली मे किसी प्रकार का राजीनामा नही होना पाया जाता है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने लोक अदालत के सम्बन्ध मे आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 अनवान पंजाब राज्य सरकार बनाम झालरसिंह एवं अदर्स मे स्पष्ट किया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम 1987 धारा 19 से 22 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 89-लोक अदालत-लोक अदालत की अधिकारिता शक्तियां और कार्य- लोक अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

द्वारा एवार्ड दिया गया–लोक अदालते विशुद्ध रूप से सुलह से सम्बन्धित है और पक्षकारो के मध्य समझौते या निपटारे पर आधारित होनी चाहिये–1987 के अधिनियम की धारा 19 से 22 के तहत अधिनिर्णय और अवधारण शब्दो का अर्थ–अभिनिर्धारित–लोक अदालत का अधिनिर्णय जो समझौते या निपटारे पर आधारित नही होता वह शून्य होगा– लोक अदालत न्यायालय की तरह प्रतिपक्षीय न्याय निर्णयन मे प्रविष्ट नही हो सकती– जहां पक्षकारो के मध्य कोई समझौता या निपटारा नही हो सकता वहां मामले का अभिलेख उस न्यायालय को मामले के कानून सम्मन निस्तारण हेतु पुनः लौटा देना चाहिये जहां से पत्रावली प्राप्त हुई है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली लोक अदालत मे नियत की। तामील व जवाबदावे मे होकर अपरिपक्व पत्रावली थी। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपनी ओर से जवाबदावा मय विशेष कथन व विशेष कथन के साथ पूर्व मे हुए बंटवाडे की बही की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई थी, जिसमे पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा होना नही पाया जाता है फिर भी बिना राजीनामे के अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता का अवहरण कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है, जिससे न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट–2 पेज 975 के विपरीत होकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017 के विरुद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 243/2016 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा मय विशेष कथन के अनुसार आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दिवानी के तहत तनकियात कायम की जाकर उक्त तनकियात पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजरसे तनकीवार नव निर्णय पारित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ